

:: आ दे श ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या-3357/नौ-2 (2017-18) दिनांक 13 अप्रैल 2018 के द्वारा वर्ष 2018 में राजस्व विभाग के अर्न्तगत संग्रह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों (संग्रह अमीन व संग्रह अनुसेवक) के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु विभागीय स्थायी स्थानान्तरण समिति का गठन किया गया था।

गठित समिति द्वारा दिनांक 04-06-2018 को सम्पन्न हुई, के पश्चात अवगत कराया है कि, जनपद अर्न्तगत संग्रह अधिष्ठान में मात्र 07 संग्रह अमीन एवं 07 संग्रह अनुसेवकों के पद सृजित/कार्यरत हैं। शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/10/30(13)/2016 दिनांक 25 मई 2018. में निर्देश दिये गये हैं कि, वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अर्न्तगत स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय। ऐसी स्थिति में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि, वर्तमान में संग्रह अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण स्थगित रखे जाय, भविष्य में यदि जिस संग्रह अमीन/अनुसेवक द्वारा मानकों के अनुरूप वसूली नहीं की जाती है तो, ऐसे संग्रह कार्मिकों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

अतः संग्रह अधिष्ठान जनपद रुद्रप्रयाग के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में गठित समिति के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान में संग्रह अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण स्थगित रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। भविष्य में यदि जिस संग्रह अमीन/अनुसेवक द्वारा मानकों के अनुरूप वसूली नहीं की जाती है तो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण किया जायेगा।

ह0/-

(मंगेश धिल्लियाल)

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या-4399/तीन-03 (2017-18)

दिनांक: रुद्रप्रयाग: जून 08, 2018.

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद रुद्रप्रयाग।
- 2- प्रभारी अधिकारी, (संग्रह) जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग।
- 3- सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग को उक्त आदेश एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।